<u>न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।</u>

फौजदारी प्रकीर्ण अपील सं0–67/2026
(CNR N0.-UPSP 010006052026)

1. ओमपाल उर्फ ओम सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी, निवासी ग्राम फतेहपुर खेडी(नीमखेडी), थाना फुगाना, जिला सहारनपुर।**.....अपीलार्थी।**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. श्रीमती किरण पत्नी ओमपाल,
3. शिव पुत्र ओमपाल, नाबालिग, संरक्षिका अपनी माता श्रीमती किरण पत्नी ओमपाल, निवासीगण ग्राम दूधली, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण

<u>(राष्ट्रीय लोक अदालत)</u>

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 7क अन्तर्गत धारा–5 भ0परिसीमा अधिनियम</u>

<u>09.05.2026</u>

पत्रावली आज लोक अदालत में निस्तारण हेत पेश हुई।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थना–पत्र आवेदक ओमपाल उर्फ ओम सैनी की ओर से अन्तर्गत धारा–5 भारतय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने निगरानी निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है

प्रार्थनापत्र में अभिकथन किया गया है कि :–

प्रार्थी/अपीलाकर्ता की ओर से मा0 न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। निम्न न्यायालय के कार्यालय से सत्यापित प्रतिलिपी विलम्ब से मिलने के कारण तदोपरांत न्यायालयों में शरदकालीन अवकाश हो जाने के कारण अपील में लगभग दो माह का विलम्ब हो गया है, जिसे क्षमा किया जाकर प्रार्थी/अपीलकर्ता को अपील में सुना जाना आवश्यक है। उपरोक्त कथनो के साथ विलम्ब को क्षमा करते हुए, प्रार्थी/अपीलकर्ता को अपील पर सुनने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनो के साथ विलम्ब को क्षमा करते हुए, अपील को अन्दर मियाद माने जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए, प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वाद सं0–38/2023 श्रीमती किरन आदि बनाम ओमपाल उर्फ ओम सैनी आदि में न्यायालय अपर सिविल जज, सी0डि0/ऐ0सी0जे0एम0, देवबंद सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.10.2025 के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ओमपाल उर्फ ओम सैनी द्वारा प्रस्तावित उक्त अपील दिनांक 19.01.2026 को विलम्ब से योजित की गयी तथा उक्त विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार प्रस्तावित अपील मियाद अवधि के उपरांत **54 दिन** विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र में अपील संस्थित करने में हुए विलम्ब का कारण, निम्न न्यायालय के कार्यालय से सत्यापित प्रतिलिपी विलम्ब से मिलने के कारण तदोपरांत न्यायालयों में शरदकालीन अवकाश हो जाने के कारण अपील में लगभग दो माह का विलम्ब से दाखिल किया जाना बताया गया है। यद्यपि जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है, किन्तु उनके द्वारा प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने की सहमति दी गयी है।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निर्णय विधि **सैनिक सिक्यूरिटी प्रति शीला बाई 2008(78) ए.एल.आर. पेज–302, स्टेट ऑफ नागालैण्ड प्रति ए0ओ0लिपाक 2005 (52) ए.सी.सी. पेज–788 तथा पूनम एवं अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011(4) ए.सी.सी.डी पेज–2125** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है तिक धारा–5 भारतीय परिसीमा अधि0 के अर्न्तगत विलम्ब को क्षमा किये जाने के प्रश्न पर अवधारणा करते समय न्यायालय को कठोर, तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए अपितु व्यावहारिक परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तकनीकी न्याय पर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो तथा वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा मामले के गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदक का प्रार्थनापत्र 7क अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7क प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम तदनुसार अंकन–...../रू0 (.....रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा सात दिन के अन्दर जमा किया जाये। तदोपरान्त प्रस्तावित अपील, अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक..... को पेश हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा नियत अवधि के अन्दर हर्जा जमा नहीं किया जाता है, तो आदेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

दिनांक 09.05.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।
I.D. UP-1891